


श्रीमान सहा  
बाली

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

24 <sup>01</sup>/<sub>23</sub>

पत्रावली पेश हुई। मूल प्रश्न धारा 177 में कार्यवाही समाप्त होने से मूल प्रश्न के अभाव में T.I. प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार टैकर नम्बर से कम है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बाली, जिला-पाली (राज.)